वित्तीय स्वीकृति / आयोजनागत

संख्या : 357 /XVII(1)-03 / 2006-07(170) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–03.

देहरादून, 28 मार्च 2006

विषय : अल्पसंख्यकों के शिक्षित बेरोजगारों हेतु अल्पसंख्यक कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक–374, दिनांक 19 जनवरी 2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित अल्पसंख्यकों के शिक्षित बेरोजगारों हेतु अल्पसंख्यक कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अल्पसंख्यक कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना हेतु शासन से यथोचित दिशा–निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत वस्तु योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
5. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–15" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–11–अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना–00" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रारूप "बी.एम.–15" के पुनर्विनियोजन कालम–01 की बचतों से वहन किया जाएगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–205/XXVII(3)/2006, दिनांक 28 मार्च 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 557 (1)/XVII(1)-03/2006–07(170)/2006, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव।

28030602?